न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना
जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0
राजस्व वाद संख्या :– संशोधित धोरीमना गु0 न0 – 67 / 2020
(मूल गुड़ामालानी गु0 न0– 81 / 1989)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण

1. चुनाराम पुत्र शिवदान फौत के कायम मुकाम
1/1 प्रतापा पुत्र चुना फौत के कायम
1/1/1 खेमाराम पुत्र प्रतापा राम
1/1/2 रूघनाथ पुत्र प्रतापा राम
1/1/3 लक्ष्मण पुत्र प्रतापा राम
1/2 हमीरा पुत्र चुना फौत के कायम मुकाम
1/2/1. छगनलाल पुत्र हमीराराम
1/2/2. खंगाराराम पुत्र हमीराराम
1/2/3. सांवलाराम पुत्र हमीराराम
1/2/4. केसीदेवी पत्नी हमीराराम
1/2/5. मजु पुत्री हमीराराम
1/2/6. वदामी पुत्री हमीराराम
1/2/7. प्रमेश्वरी पुत्री हमीराराम
1/2/8. सविता पुत्र हमीराराम
1/3 कमाराम पुत्र चुना फौत के कायम मुकाम
1/3/1 चनणी बेवा कमाराम
1/3/2 अर्जुन पुत्र कमाराम
1/4 बालाराम पुत्र चुनाराम फौत के कायम मुकाम
1/4/1. ललीतकुलदीप पुत्र बालाराम
1/4/2. धर्माराम पुत्र बालाराम
1/4/3. सन्तोषी पत्नी बालाराम
1/4/4. रेखा पुत्री बालाराम
1/5 हडुमानराम पुत्र चुनाराम फौत के कायम मुकाम
1/5/1. दिनेश पुत्र हडूमानराम
1/5/2 वीरचन्द पुत्र हडूमानराम
1/5/3 कुसुम पुत्री हडूमानराम नाबालिंग की वली माता डाईदेवी
1/5/4 डाईदेवी पत्नी हडूमानराम
जातियान जटिया निवासी धोरीमना जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. गुणेशा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
1/1 किशन लाल पुत्र गुणेशाराम जाति जटिया निवासी जटियों का वास, बाड़मेर
2. धूड़ा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
2/1 दुर्गाराम पुत्र धूड़ाराम
3. गोमा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
3/1 हरीश पुत्र गोमाराम
3/2 भागीरथ पुत्र गोमाराम
3/3 राजूराम पुत्र गोमाराम
3/4 जगदीश पुत्र गोमारा जाति जटिया निवासी धोरीमना हॉल शिवगनर, बाड़मेर
4. पोकर राम पुत्र रतनाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना हॉल सांचारे जिला जालोर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा

तारीख रजू 26/08/1989

अधिवक्तागणः–

01. श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता वादीगण
02. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
03. श्री रामनिवास अधिवक्ता प्रतिवादीगण
04. श्री सुनिल के मेराजा प्रतिवादीगण
05. श्री हापूराम अधिवक्ता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

--:: निर्णय ::--

दिनांक 05/01/24

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0 का0 अधि0 वास्ते घोषणा का पेश कर निवेदन किया कि वादी मौजा – धोरीमना तहसील धोरीमना का रहवास है, जिसके काश्तकारी की भूमि मौजा– धोरीमना में खेत खसरा नम्बर 735 रकबा 18 बीघा, खसरा नम्बर 786 रकबा 114–05 बीघा कुल रकबा 132–05 बीघा आये हुए है। मगर खसरा नम्बर 746 के बीच में से सड़क निकलने से 6–00 बीघा जमीन सड़क में चली जाने से अब कुल रकबा 123–05 बीघा रह गई है। वादी के उपरोक्त पुरे खेत पर काश्त जागीर व वक्त सेंटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने ही सेटलमेंट के वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों के साथ रहकर खेत को नपवाया था। चैन मैन का खर्चा भी वहन किया था व पर्चा लगान भी वादी को प्राप्त हुआ। वादी अनपढ होने से यही समझता रहा कि उसके नाम से पूरे खेत का पर्चा लगान जारी हुआ होगा, क्योंकि काश्त –कब्जा वादी का पूरे खेत पर चला आ रहा था। प्रतिवादीगण, वादी के जाति भाई है व उनकी एक साल के लिए वादी ने खेत पांती पर काश्त करने को दिया था, मगर कुछ फायदा न होने पर प्रतिवादीगण वापस बाड़मेर आ गये व बाड़मेर मे बच गये, जहां उनके व्यापार व मकान आये हुए है। अभी एक माह पूर्व पटवारी हल्का से मालूम हुआ कि प्रतिवादीगण व उनके भाई विरधा का नाम पर्चा लगान मे है, तब सर्व प्रथम ज्ञान हुआ, तब प्रतिवादीगण की रेकर्ड में सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा गलत नाम दर्ज की दुरूस्ती कराने बाबत कहा तो आज–कल मै कर दूगा व टालने रहे जिससे प्रतीत होता है कि उनकी नियत में फर्क आ गया है जिससे यह घोषणा का वाद लाना पड़ा। प्रतिवादीगण के भाई विरधा का 12 वर्ष पूर्व बाड़मेर में देहान्त हो गया, जो प्रतिवादीगण के साथ रहात था व ला–औलाद फौत हुआ, व प्रतिवादीगण ही उसके वारिश है, अन्य कोई नही है। प्रतिवादीगण तमाम शुरू से बाड़मेर में ही रहते है व आज भी बाड़मेर में वार्ड नं0 24 में रह रहे है, उनका वादी के खेत मे कोई हक हिस्सा न था और न है। बिनायदावा जब वक्त सेंटलमेंट प्रतिवादीगण व उसके भाई विरधा का नाम पर्चा लगान से गलती से दर्ज हुआ व अभी एक माह पूर्व जब उक्त गलती का इल्म हुआ व दुरस्ती कराने का कहा व टालते [illegible] बाड़मेर पैदा हुआ। विवादग्रस्त भूमि मौजा– धोरीमना तहसील [illegible] में आई हुआ है जिसका क्षेत्राधिकार अदालत वाला को [illegible] में पेश है। मालियत दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना

Scanned with OKEN Scanner

बगज कोर्ट फीस उक्त वाद धारा 88 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम के तहत होने से, इस पर निर्धारित न्याय शुल्क रू. 1 का पेश है। वादी की प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादी, विरुद्ध प्रतिवादीगण व विरधा के निम्न प्रकार से प्रदान की जावे – क. कि खेत खसरा नम्बर 735, 746, 746/2 रकबा क्रमशः 18–00, 55–15, 46–10 कुल रकबा 123–05 बीघा मौजा – धोरीमना तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का पूरा रकबा वादी की खातेदारी मे घोषित किया जावे। ख. कि वाद घोषणा के राजस्व रेकर्ड मे विवादग्रस्त भूमि पूरी वादी के नाम घोषित की जावे। ग–कि वादी को वाद का खर्चा, प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। घ–कि अन्य कानूनी सहायता जो वाद के तहकीकात के दौरान, वादी के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरुद्ध साबित हो, प्रदान की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील प्रतिवादी ने दिनांक 06.11.1989 को मय जबाबदावा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से निम्न प्रकार है :–वादी का वादपत्र का पद संख्या 1 सही होन से स्वीकार है। वादी के वादपत्र का पद संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। वादी के वादपत्र पद सं0 3 सही है। वादी के वादपत्र पद सं0 4 सही है। वादी के वादपत्र पद सं0 5 सही है। वादी के वादपत्र पद सं0 6 सही है। वादी के वादपत्र पद सं0 7 सही है। वादी के वादपत्र पद सं0 8 कानूनी है। वादी के वादपत्र पद सं0 9 कानूनी है। वादी के वादपत्र पद सं0 10 कानूनी है। वादी के वादपत्र पद सं0 11 सही है, तथा खेत खसरा नम्बर 735, 746, 746/2 रकबा क्रमशः 18–00, 55–15, 46–10 कुल रकबा 123–05 बीघा मौजा धोरीमना तहसील गुड़ामालानी का पूरा रकबा वादी की खातेदारी में घोषित किये जाने तथा राजस्व रेकर्ड मे विवादग्रस्त भूमि पूरी वादी के नाम घोषित किये जाने मे हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

दिनांक 11.12.1989 को वादी साक्ष्य में पत्रावली पेश हुई। दिनांक 07.03.1991 को पत्रावली वादी साक्ष्य में पेश हुई वादी साक्ष्य करवाये गये। दिनांक 19.03.1991 को पत्रावली गवाह ब्यान में तय की गई।

दिनांक 09.04.1991 को वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसमें वादी का सम्पूर्ण वाद स्वीकार सम्पूर्ण खातेदारी वादी के पक्ष में निर्णित कर निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार वादी हो गया। सम्पूर्ण आराजी वादी के पक्ष में घोषित कर दी गई। उसके बाद से वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
उपखण्ड अधिकारी (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण ने अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 24.08.2015 को अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एसीएम (एसडीओ) के द्वारा राजस्व वाद संख्या 81/1989 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 के विरूद्ध अपील संख्या 65/2015 दर्ज हुई।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील / 223/ रा.का. अधि. /65/ 2015/बाड़मेर में दिनांक 12.06.2017 को अपील का निर्णय पारित किया था जिसमें अपीलान्ट/प्रतिवादीगण की अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि उभयपक्ष की साक्ष्य व अन्य अभिलेख के साथ वाद का नये सिरे से निस्तारण करे के, निर्देश पारित किया था।

राजस्व अपील / 223/ रा.का.अधि. /65/ 2015/बाड़मेर निर्णय दिनांक 12.06.2017 के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई। जो अपील / टी0ए0 /3599/2017 दर्ज हुई। अपील में वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपस में राजीनामा हो गया हैं प्रतिवादीगण द्वारा अपील में अपना हक त्याग कर सम्पूर्ण आराजी वादी के नाम करने का निवेदन किया गया। इस आधार पर दिनांक 30.07.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राजीनामे अनुसार आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2017 एवं सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे नियमानुसार राजीनामे की वैधानिकता का परीक्षण कर दो माह में निर्णय पारित करें" का आदेश व निर्णय पारित किया गया था।

पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर वादग्रस्त आराजी न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से पुनः नये मुकदमा संख्या 67/2020 पर दिनांक 23.09.2020 को दर्ज हुई।

दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 01/01 श्री किशनलाल का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का पेश किया तथा निवेदन प्रतिवादी संख्या 1/1. किशनलाल पुत्र गुणे... जटिया निवासी जटियों का वास, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर का ... अनवान मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

05/06/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

मुझ प्रतिवादी 1/1 किशनलाल के पिता गुणेशाराम पुत्र रतनाराम जाति जटिया निवासी जटियों का वास, बाड़मेर द्वारा वाद पत्र में जबाबदावा जो प्रस्तूत किया है वो मुझे स्वीकार है। मूल वाद गुड़ामालानी प्रकरण संख्या 81/1989 है। जवाबदावा में मेरे व मेरे परिवार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादग्रस्त आराजी चुनाराम पुत्र शिवदानराम की थी हमारी नही थी। पूर्व में हमने सहायक कलक्टर गुड़ामालानी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 वाद संख्या 81/91 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील प्रस्तूत की थी। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर समक्ष पेश की गई अपील बहकावट में आकर पेश की गई थी। चूंकि वादीगण परिवार में आपसी सद्भावना चाहते है एवं भविष्य में किसी तरह का विद्वेष उत्पन्न नही हो ऐसी स्थिति में नाते व रिश्तेदारो द्वारा समझाईश करवाई गई हम हमारा हक नही लेना चाहते है। आपसी राजीनामा हो चुका है। सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखवाना चाहते है। जिस पर समस्त प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है एवम् उनके द्वारा उक्त तथ्यों बाबत् सहमति राजस्व मण्डल अजमेर मे दी थी। ऐसी स्थिति मे वादी (स्व. चूनाराम) द्वारा माननीय न्यायालय में जो वाद पेश किया गया था उसे न्यायहित में आपसी सहमति से स्वीकार किया जावे तो इसमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी। वाद में आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते है। मुझे मेरा हक मिल चुका है। मेरा हक वादीगण के पक्ष में किया जाऐ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखा जावे तथा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा मुझे स्वीकार है जो हमने राजी–खुशी से पेश किया था जिसे सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 20.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा तस्दीक कर वाद निर्णय करने बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार से निवेदन वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 02 दुर्गाराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 52 वर्ष प्रतिवादी संख्या 3/1 हरीश पुत्र गोमाराम 49 वर्ष 3/2 भागीरथ पुत्र गोमाराम उम्र 47 वर्ष 3/3 राजपुराम पुत्र गोमाराम उम्र 43 वर्ष 3/4 जगदीश पुत्र गोमाराम उम्र 41 वर्ष जातियात् जअिया निवासीयान् धोरीमना हाल निवासीयात् शिवनगर बाड़मेर व प्रतिवादी संख्या 04 पोकराराम पुत्र रतनाराम उम्र 76 वर्ष जाति जटिया निवासी धोरीमना हाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर यह राजीनामा प्रपत्र निम्न प्रकार से निष्पादित कर रहे है कि ... मौजा धोरीमना तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30.46 IST
Reason: SelfAttested

05/01/...
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

धोरीमना में मूल खेत खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा व मौजा गुणेशाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा कुल रकबा 132–05 बीघा भूमि स्थित थी। जिसमे खसरा नम्बर 746 में सड़क निकलने से कुल रकबा 123–05 बीघा भूमि शेष रह गई थी। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 दुर्गाराम के पिता धुड़ाराम एवं प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 के पिता गोमाराम, व प्रतिवादी पोकरराम व पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत कर चुके किसनाराम पुत्र गुणेशाराम सहित चारों का 1/2 हिस्सा व वादी चुनाराम का 1/2 हिस्सा वक्त सेटलमेन्ट में दर्ज हो गया था। जिसमें में किसनाराम पुत्र गुणेशाराम का हिस्सा 1/8 जो पूर्व में राजीनामा प्रस्तुत कर चुका हैं शेष हम तीनों का हिस्सा 3/8 हैं जो हम राजीनामा में चुनाराम के परिवार के पक्ष में करना चाहते है। किन्तु उक्त भूमि पर काश्त कब्जा चुनाराम का ही था इस कारण से उक्त भूमि पर अन्यत्र रहने से हम प्रतिवादीगण का कभी कोई काब्जा काश्त व रहवास नही रहा। फिर भी हम प्रतिवादीगणों को वादीगण द्वारा हम सभी की इच्छा के अनुसार प्रतिफल रोकड़ राशि मे हमें भुगतान कर दिया गया है। 02. कि पूर्व में हम प्रतिवादीगण अपने भाई किसनलाल के साथ मिलकर सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 81/1989 में पारित निर्णय के विरूद्ध एक राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उक्त राजस्व अपील अपीलान्ट ने बहकावन में आकर पेश की गई थी चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण एवं वादीगण के परिवार से आपसी सद्भावना चाहते हैं एवं भविष्य में किसी प्रकार का विद्धेष उत्पन्न नहीं हो ऐसी स्थिाति में हमारे नाते रिश्तेदारों एवम् समाज के मौजीज व्यक्तियों ने आपसी समझाईश कर लोक अदालत की पावन भावना को मध्य नजर रखते हुए राजीनामा करवा दिया हैं जिसके चलते हम प्रतिवादीगण उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में अपना कोई हक लेना नहीं चाहते हैं तथा सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखवाना चाहते हैं जिस पर हम समस्त प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं हैं एवं उक्त तथ्यों बाबत् सहमति हम प्रतिवादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष भी दी थी जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी अपील संख्या 3599/2017 अनवान चुनाराम बनाम पोकराराम में दिनांक 30.07.2020 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण" विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषिति किया जाता हैं कि वे नियमानुसार राजीनामा [illegible] दो माह में निर्णय पारित करें। " 03. कि उक्त प्रकरण में वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से मौजीज व्यक्तियों [illegible] राजीनामा करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

दिया है। एवं वादीगण ने हम प्रतिवादीगण को अपने रागझ एवं राजीखुशी से मनलुभावना सहयोग कर दिया हैं जिसके चलते अब हम प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य विवादित आराजी को लेकर कोई विवाद एवं झगड़ा एवं कलह शेष नहीं रही हैं विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त सहित राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी में दर्ज हैं जो सही हैं एवं इसे यथावत रखा जाना हम प्रतिवादीगण ने तय किया है। 04. कि राजीनामा के अनुसार वादगरस्त आराजी में हम प्रतिवादीगण का आज के बाद किसी तरह का कोई हक अधिकार एवं खातेदारी नहीं रही हैं एवं पूर्व मे सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 09.04'.1991 को जो निर्णय किया हैं उसे यथावत रखा जावे। एवं खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में जिसमें नाम हैं वो यथावत रखी जावें। हमारा उसमें उजर एतराज नहीं हैं हम पक्षकारान् का वादीगण से राजीनामा हो चुका हैं इसलिए हमारे राजीनामा को तस्दीक कर पूर्व राजीनामा को बहाल करते हुए वादग्रस्त आराजी वादीगण स्वामित्व व खातेदारी की घोषित की जावें। 05. कि ऐसी स्थिति में वादी (स्व. चुनाराम) द्वारा माननीय न्यायालय में जो वाद पेश किया था उसे न्यायहित में आपसी सहमति से स्वीकार किया जावें तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी वाद की आगे की किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं हमे हमारा हक मिल चुका हैं हमारा हक वादीगण के पक्ष में किया जाए। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 02 दुर्गाराम, प्रतिवादी संख्या 3/1 हरीश 3/2 भागीरथ 3/3 राजुराम 3/4 जगदीश एवं प्रतिवादी संख्या 04 पोकराराम के मध्य निष्पादित राजीनामा को वैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर हमारा राजीनामा तस्दीक करावें एवं मौजा गुणेशाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के मूल खेत खसरा नम्बर 746 व मौजा धोरीमना पटवार मण्डल धोरीमना के मूल खेत खसरा संख्या 735 के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर गुडामालानी द्वारा उक्त राजस्व वाद संख्या 81/89 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखते हुए उक्त खसरान् में आराजी वर्तमान रिकोर्ड अनुसार कायम /यथावत रखा जावें। का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 27.10.22 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने बाबत् सविता पुत्री हमीराराम जाति जटिया निवासी शिवनाथपुरा जिनगर कॉलोनी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर हाल निवास कुलदीप नगर धोरीमना जिला बाड़मेर की ओर से पेश [illegible] प्रकरण में विवादित आराजी हमारी पैतृक भूमि हैं जो हमारे दादा [illegible] शिवदानराम की खातेदारी की थी कि हमारे दादा चूनाराम [illegible] पक्षकारान् भी धारा 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

05/01/[illegible]
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं किन्तु हमें उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। 02. कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बेटीयों को बेटों के बराबर हम व अधिकार दिया गया हैं एवं उक्त प्रकरण आज श्रीमान्जी के समक्ष सुनवाई हेतु नियत हैं जिसमें हम प्रार्थीगण को भी बतौर पक्षकार वादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक हैं ताकि हम लोग भी अपना हक हिस्सा प्राप्त कर सके ओर अपना पक्ष भी श्रीमान्जी के समक्ष रख सके। 03. कि प्रार्थीनी के पिता हमीराराम व प्रतापजी दोनों चूनाराम के पुत्र हैं जिसका देहान्त हो चुका है इस कारण हम चूनाराम की सगी पोती होने से उक्त वाद में चूनाराम के कायम मुकाम के रूप में पक्षकार बनने के हकदार हैं एवं हमारे दादा की खातेदारी भूमि में अपना हक पाने की अधिकारिणी हैं इसीलिये हमें उक्त वाद में बतौर पक्षकार वादी के रूप में संयोजित किया जावें ताकि हम लोग उक्त वाद में अपना पक्ष रख सकें। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार कर सविता कुमार पुत्री हमीराराम जाति जटिया निवासी शिवनाथपुरा जिनगर कॉलोनी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर हाल निवास कुलदीप नगर धोरीमना जिला बाड़मेर को उक्त वाद में बतौर पक्षकार वादीगण के रूप में संयोजित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिलावें, का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 17.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने बाबत् का हरीराम पुत्र मोटाराम उम्र 54 वर्ष जाति मेघवाल निवासी नया बस स्टेण्ड सुभाष नगर, धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर का यह है कि उपरोक्त अनवान सदर प्रकरण में श्रीमानजी के समक्ष विचाराधीन है जिसमें चूनाराम द्वारा गणेशाराम वगैरा के विरुद्ध घोषणा का वाद पेश किया गया जिसमें विवादग्रस्त आराजी ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी पटवार हल्का धोरीमना के खेत खसरा संख्या 735 व 746 कुल रकबा 132–05 बीघा भूमि में गलत तरिके से तलबी करवाकर एकतरफा चूनाराम वगैरह के पक्ष में घोषित कर दिया गया है। जिसकी जानकारी होने पर अपील की गई तथा अपिलान्ट कोर्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के फैसले को खारिज कर पूर्व स्थिति बहाल करने का आदेश पारित हुआ इसके बाद गुणेशा के कायम मुकाम द्वारा उक्त भूमि जरिये इकरारनामा शंकरलाल पुत्र कौशलाराम को बेचान कर दी गई तथा शंकरलाल ने उक्त भूमि प्रार्थी हरीराम को बेचान कर दी गई इस प्रकार उक्त विवादग्रस्त आराजी मे हरीराम द्वारा जरिये विक्रय इकरारनामा प्रतिफल अदा कर क्रय करने से प्रार्थी हरीराम ने पोकरराम का 1/8 ... राम का 1/8 हिस्सा, हरीश, भागीरथ, राजु व जगदीश का संयुक्त रूप से 1/8 ... से खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

735 व 746 के कुल रकबे 132–05 बीघा का 3/8 हिस्सा का सदभावी क्रेता की हैसियत से हक निहित होने से उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार के रूप में सुना जाना न्यायोचित है। प्रार्थी हरीराम ने वाद के प्रतिवादीगण पोकरराम, दुर्गाराम, हरीश, भागीरथ, राजु व जगदीश ने अपीलान्ट न्यायालय द्वारा पुनः खातेदारी देने के बाद इकरारनामा की शर्तो के अनुसार उक्त वाद में धारा 144 सीपीसी की कार्यवाही कर अपने नाम भूमि दर्ज होते ही शेष प्रतिफल प्राप्त कर भूमि का पंजिबद्ध बेचाननामा निष्पादित करना था परन्तु प्रतिवादीगण ने दुरभि संधि कर कुछ भू–माफियाओं से मिलकर उक्त राजस्व वाद में उन भू माफियों से प्रतिफल लेकर अपना हक त्यागने के लिए राजीनामा पेश करने की तैयारी की जा रही जबकि उक्त प्रतिवादीगण अपना हक हिस्सा प्रार्थी हरीराम को बेचान कर चुका है। इसलिए इन प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा अपना हक त्यागने का कोई अधिकार नही है। जबकि विधि को अन्धेरे में रखकर विधिविरुद्ध राजीनामा निष्पादित कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणिय क्षति हो जायेगी बाद में कोई उपचार नही हो पायेगा इसलिए प्रार्थी को सुनकर पत्रावली को आगे की कार्यवाही हेतु रखने से प्रार्थी अपने दस्तावेज व तथ्य न्यायालय में रख पायेगा तथा न्याय में सुगमता रहेगी। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो अपने हक हिस्से से हमेंशा के लिए महरूम रह जायेगा इसलिए प्रार्थी उक्त राजस्व वाद में आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी को बिना सुने निर्णय देने पर प्रार्थी न्याय से वंचित रहेगा। इसलिए न्याय हित में प्रार्थी को बतौर पक्षकार विप्रार्थी शामिल किया जाना न्यायोचित है। विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने से सुना जाना न्यायोचित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का स्वीकार कर प्रार्थी को राजस्व वाद में पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान करावे, का पेश किया गया जो सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 17.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का वादी 1/4/1 ललीतकुलदीप, वादी 1/4/2 धर्माराम, पिसरान् बालाराम, वादी 1/4/3 सन्तोषी पत्नी बालाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान का निम्न प्रकार से है कि :– उपरोक्त अनवान वाद में वादी सख्या 1/4/1 से 1/4/3 वादीगण है। हमारा अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा हमें स्वीकार है। प्रतिवादीगण व वादीगण आपस में राजी हो चुके सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारित [illegible] व [illegible] दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखवाना चाहते है। [illegible] को कोई ऐतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना
05/01/2024
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना

Scanned with OKEN Scanner

नही हैं एवम उनके द्वारा उक्त तथ्यों बाबत् सहमति राजस्व मण्डल अजमेर में दी थी। ऐसी स्थिति में वादी (स्व. चूनाराम) द्वारा माननीय न्यायालय में जो वाद पेश किया गया था उसे न्यायहित में आपसी सहमति से स्वीकार किया जावें तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारिव निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखा जावें तथा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा हमें स्वीकार है जो हमने राजी–खुशी से पेश किया था जो प्रार्थना पत्र सामिल मिसल किया गया।

दिनांक 17.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का वादी 1/1/1 खेमाराम, वादी 1/1/3 लक्षमण पिसरान् प्रतापाराम, जाति जटिया निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान का निम्न प्रकार से है कि उपरोक्त अनवान वाद में वादी सख्या 1/1/1 से 1/1/3 वादीगण है। हमारा अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा हमें स्वीकार है। प्रतिवादीगण व वादीगण आपस में राजी हो चुके सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखवांना चाहते है। जिस पर समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही हैं एवम उनके द्वारा उक्त तथ्यों बाबत् सहमति राजस्व मण्डल अजमेर में दी थी। ऐसी स्थिति में वादी (स्व. चूनाराम) द्वारा माननीय न्यायालय में जो वाद पेश किया गया था उसे न्यायहित में आपसी सहमति से स्वीकार किया जावें तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा पारिव निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.1991 को यथावत रखा जावें तथा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा हमें स्वीकार है जो हमने राजी–खुशी से पेश किया था जो प्रार्थना पत्र सामिल मिसल किया गया।

छः प्रार्थनों पत्रों पर विस्तारपूर्वक बहस सुनी गई।

वादीगण के वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा अनुसार डिकरी पारित करने का आदेश प्रदान करावें जिसमें प्रतिवादी सभी राजी है। राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय के अनुरूप हैं

प्रतिवादीगण के वकील ने निवेदन किया हैं प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा को स्वीकार का डिकरी व निर्णय वादी के पक्ष में पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

05/01/

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया सरिता के वकील ने निवेदन हैं कि प्रार्थीया को वाद में पक्षकार बनाया जाएं।

प्रार्थी हरीराम के वकील ने निवेदन कि कि प्रार्थी पत्र अनुसार हरीराम को वाद में पक्षकार बनाया जाएं ताकि अपने हक के लिए वाद में पक्ष रख सके।

वादीगण वकील ने विरोध किया और कहा कि प्रार्थी हरीराम को पक्षकार नहीं बनाया जाएं प्रार्थी इकरारनामा के जरिये आया है इसलिए पक्षकार नहीं बनाया जाएं प्रार्थना पत्र क्षैत्राधिकार से बाहर होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाएं।

पत्रावली में कुल छः प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं सबसे पहले जो प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं उसे पहले निरस्तारण करना उचित व न्याय संगत समझते है।

सबसे पहले प्रार्थना दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1/1 किशनलाल पुत्र गुणेशाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का हैं जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील / टी0ए0 /3599/2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरुप है।

दूसरे प्रार्थना दिनांक 20.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते राजीनामा तस्दीक कर वाद निर्णय करने बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार से निवेदन वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 02 दुर्गाराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 52 वर्ष प्रतिवादी संख्या 3/1 हरीश पुत्र गोमाराम 49 वर्ष 3/2 भागीरथ पुत्र गोमाराम उम्र 47 वर्ष 3/3 राजपुराम पुत्र गोमाराम उम्र 43 वर्ष 3/4 जगदीश पुत्र गोमाराम उम्र 41 वर्ष जातियात् जटिया निवासीयान् धोरीमना हाल निवासीयता शिवनगर बाड़मेर व प्रतिवादी संख्या 04 पोकराराम पुत्र रतनाराम उम्र 76 वर्ष जाति जटिया निवासी धोरीमना हाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर को पेश किया है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /टी0 ए0 /3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप है।

दिनांक 17.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का वादी 1/4/1 ललीतकुलदीप, वादी 1/4/2 धर्माराम, पिसरान् बालाराम, वादी 1/4/3 सन्तोषी पत्नी बालाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान द्वारा जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /टी0 ए0 /3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप है।

दिनांक 17.11.2022 को एक प्रार्थना [illegible]त धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा का वादी [illegible] पिसरान् प्रतापाराम, जाति जटिया निवासी धोरीमना तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /टी0 ए0 /3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप है।

सरिता पुत्री हमीराराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 सीपीसी वास्ते वादी पक्षकार बनाने का पेश किया जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप नहीं है।

हरीराम पुत्र मोटाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01नियम 10 सीपीसी वास्ते वादी पक्षकार बनाने का पेश किया जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप नहीं है।

हमने उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को विस्तारपूर्ण सुना, दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विवेचना पूर्वक निर्णययन करना उचित समझते है–

01. प्रतिवादी संख्या 1/1 किशनलाल पुत्र गुणेशाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते राजीनामा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप होने **स्वीकार करना उचित व न्याय संगत समझते है। प्रार्थना पत्र** स्वीकार किया जाता हैं मूल वाद का निर्णय व डिक्री करना जाना उचित समझते है।

02. प्रतिवादी संख्या 02 दुर्गाराम पुत्र धुड़ाराम, प्रतिवादी संख्या 3/1 हरीश पुत्र गोमाराम, 3/2 भागीरथ पुत्र गोमाराम, 3/3 राजपुराम पुत्र गोमाराम, 3/4 जगदीश पुत्र गोमाराम, जातियात् जटिया निवासीयान् धोरीमना हाल निवासीयता शिवनगर बाड़मेर व प्रतिवादी संख्या 04 पोकराराम पुत्र रतनाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना हाल निवासी सांचौर तहसील सांचौर जिला जालोर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते राजीनामा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप होने से **स्वीकार करना उचित व न्याय संगत समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं मूल वाद का** निर्णय व डिक्री करना जाना उचित समझते है।

03. वादी 1/4/1 ललीतकुलदीप, वादी 1/4/2 धर्माराम, पिसरान् बालाराम, वादी 1/4/3 सन्तोषी पत्नी बालाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते राजीनामा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप होने

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

05

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से स्वीकार करना उचित व न्याय संगत समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं मूल वाद का निर्णय व डिक्री करना जाना उचित समझते है।

04. वादी 1/1/1 खेमाराम, वादी 1/1/3 लक्षमण पिसरान् प्रतापाराम, का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते राजीनामा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील /टी.ए./3599 /2017 निर्णय दिनांक 30.07.2020 के अनुरूप होने से स्वीकार करना उचित व न्याय संगत समझते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं मूल वाद का निर्णय व डिक्री करना जाना उचित समझते है।

05. प्रार्थीया सविताकुमारी पुत्री हमीराराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने में – सविताकुमारी रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं सम्भावित खातेदार हैं वाद निर्णित व डिक्री होने से प्रार्थीया सविताकुमारी का हक प्रभावित नहीं हो रहा हैं क्योंकि सविता ने दिनांक 24.12.2020 को अपना सम्पूर्ण हक पंजीबद्ध हकतर्कनामा के जरिये हक त्याग दिया था प्रार्थीया का हक प्रभावित नहीं हो रहा हैं इसलिए प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाने का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

06. प्रार्थी हरीराम पुत्र मोटाराम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी वास्ते पक्षकार बनाने में – हरीराम रेकर्डेड खातेदार नहीं हैं हरीराम द्वारा बिना पंजीबद्ध इकरारनामा के आधार पर पक्षकार बनना चाहते है। सम्पत्ति का मूल 100/– रूपये से अधिक होने से पंजीबद्ध दस्तावेज होना अनिवार्य हैं, प्रार्थी हरीराम सिविल न्यायालय से इकरानामा अनुसार घोषणा का दावा कर सकता हैं प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार का नहीं हैं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया लिहाजा प्रार्थना पत्र हरीराम को पक्षकार बनाने का अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण ने अपने जबाब में स्वीकार किया तथा जरिये राजीनामा में भी वादी के पक्ष में निर्णय व डिकरी पारित करने का कथन किया अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया सहिंता वास्ते राजीनामा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील /टी.ए./3599 /2017 [illegible] अनुरूप होने से वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध [illegible] दिनांक 26.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

08.1989 के समय अनुसार) राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 132–05 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित करना, वर्तमान राजस्व रेकर्ड (अभिलेख) में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाएं वर्तमान का राजस्व रेकर्ड यथावत् रखने का आदेश दिया जाना हम उचित व विधि संगत समझते है।

–:–:: आदेश ::–:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना मूल (वाद दर्ज दिनांक 26.08.1989 के समय अनुसार) राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 132–05 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित की जाती हैं, वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना के मूल (वाद दर्ज दिनांक 26.08.1989 के समय अनुसार) राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 132–05 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड (अभिलेख) में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाएं वर्तमान का राजस्व रेकर्ड यथावत् रखने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण व वादी के मध्य हुए आपसी राजीनामा को तस्दीक करते हुए, राजीनामे में उल्लेखित कथनों को स्वीकार किया जाता है। चूंकि राजीनाम में उभयपक्षो ने निवेदन किया कि वे दिनांक 09.04.1991 निर्णय / डिक्री को यथावत चाहते हैं राजीनामा अनुसार दिनांक 09.04.1991 के आदेश को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 05/01/24 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद पत्र संख्या :– संशोधित धोरीमना मु0 न0 – 67/2020
(मूल गुड़ामालानी मु0 न0– 81/1989)

वादीगण

1. चुनाराम पुत्र शिवदान फौत के कायम मुकाम
1/1 प्रतापा पुत्र चुना फौत के कायम
1/1/1 खेमाराम पुत्र प्रतापा राम
1/1/2 रूघनाथ पुत्र प्रतापा राम
1/1/3 लक्ष्मण पुत्र प्रतापा राम
1/2 हमीरा पुत्र चुना फौत के कायम मुकाम
1/2/1. छगनलाल पुत्र हमीराराम
1/2/2. खंगाराराम पुत्र हमीराराम
1/2/3. सांवलाराम पुत्र हमीराराम
1/2/4. केसीदेवी पत्नी हमीराराम
1/2/5. मजु पुत्री हमीराराम
1/2/6. बदामी पुत्री हमीराराम
1/2/7. प्रमेश्वरी पुत्री हमीराराम
1/2/8. सविता पुत्र हमीराराम
1/3 कमाराम पुत्र चुना फौत के कायम मुकाम
1/3/1 चनणी बेवा कमाराम
1/3/2 अर्जून पुत्र कमाराम
1/4 बालाराम पुत्र चुनाराम फौत के कायम मुकाम
1/4/1. ललीतकुलदीप पुत्र बालाराम
1/4/2. धर्माराम पुत्र बालाराम
1/4/3. सन्तोषी पत्नी बालाराम
1/4/4. रेखा पुत्री बालाराम
1/5 हडुमानराम पुत्र चुनाराम फौत के कायम मुकाम
1/5/1. दिनेश पुत्र हडूमानराम
1/5/2 वीरचन्द पुत्र हडूमानराम
1/5/3 कुसुम पुत्री हडूमानराम नाबालिंग की वली माता डाईदेवी
1/5/4 डाईदेवी पत्नी हडूमानराम जातियान जटिया निवासी धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम प्रतिवादीगण

1. गुणेशा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
1/1 किशन लाल पुत्र गुणेशाराम जाति जटिया निवासी जटियों का वास, बाड़मेर
2. धूड़ा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
2/1 दुर्गाराम पुत्र धूड़ाराम
3. गोमा पुत्र रतना फौत के कायम मुकाम
3/1 हरीश पुत्र गोमाराम
3/2 भागीरथ पुत्र गोमाराम
3/3 राजूराम पुत्र गोमाराम
3/4 जगदीश पुत्र गोमारा जाति जटिया निवासी धोरीमना हॉल शिवगनर, बाड़मेर
4. पोकर राम पुत्र रतनाराम जाति जटिया निवासी धोरीमना हॉल सांचारे जिला जालोर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना।

अधिवक्तागण:–

01. श्री ओमप्रकाश अधिवक्ता वादीगण
02. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
03. श्री रामनिवास अधिवक्ता प्रतिवादीगण
04. श्री सुनिल के मेराजा प्रतिवादीगण
05. श्री हापूराम अधिवक्ता सरकार प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फताई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित भिनजानिव मुदई डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना मूल (वाद दर्ज दिनांक 26.08.1989 के समय अनुसार) राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 132–05 बीघा वादी की खातेदारी में घोषित की जाती हैं, वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल धोरीमना के मूल (वाद दर्ज दिनांक 26.08.1989 के समय अनुसार) राजस्व ग्राम धोरीमना के खसरा संख्या 735 रकबा 18–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 746 रकबा 114–05 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 132–05 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड (अभिलेख) में किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जाएं वर्तमान का राजस्व रेकर्ड यथावत् रखने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण व वादी के मध्य हुए आपसी राजीनामा को तस्दीक करते हुए, राजीनामे में उल्लेखित कथनों को स्वीकार किया जाता है। चूंकि राजीनाम में उभयपक्षो ने निवेदन किया कि वे दिनांक 09.04.1991 निर्णय /डिक्री को यथावत चाहते हैं राजीनामा अनुसार दिनांक 09.04.1991 के आदेश को यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

नीज..............–...............मुबलिक...................–.............बाबत्.....–..........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर..........–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....–... ....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05/01/24 को सरे ईजलास जारी किया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:30:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner